

अनुसूची 14—फारम सं 511.

र 503424

जिल्द-संख्या वर्ष 2014-2015

किससे प्राप्त हुआ छाया संग्रही प्रिमा संरक्षण में
किस मदे ड्राप ट्रैकल एवं ऑला पिठोरी आदि जीवाणु
खारण

19-महाराजगढ़ निवास
नागरिकों शुल्क

रकम
र० प०

मकद 12500=८

स्टम्प के १५ में

12500=०

कुल

खपये बारह लगाह पाँच रुपी मात्र

(केवल खपये पैसे)

१२५।५

प्राप्त करनेवाला पदाधिकारी ।

पारंपर 12.04.14

निलाल काशीर
लाल

22/H/P/2014/R.O

¹[प्ररूप 2क]

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन—पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

19/4/2014
नीचे भरा था भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

date
Time

भाग 1

(गान्धीताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए २५०३

संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम २५०३ पिता / माता / पति का

नाम २५०३ उसका डाक पता २५०३

उसका नाम २५०३ संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र [में समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के
भाग सं0 २५०३ में क्रम सं0 २५०३ पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम २५०३ है, जो २५०३

संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र [में समाविष्ट २५०३ विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र]

की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 २५०३ में क्रम सं0 २५०३ पर प्रविष्ट है।

तारीख 19/4/2014

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 19 महाराष्ट्र 114012 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं:-
अभ्यर्थी का नाम लक्ष्मास माझी

पिता/माता/पर्ति का नाम सरदूरा माझी
उसका डाक पता लखनऊ-१९७८/ट्रॉला/पिठोरी दौ. दैग्र ब्रह्मपुर बाजार लखनऊ

पिता-सारण उसका नाम 19 महाराष्ट्र 114012
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र * [में समाविष्ट 115 लखनऊ पुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 218 में क्रम संख्यांक 350 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे की नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं:- लक्ष्मास माझी

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर.

| क्रम सं० | प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक | | | पूरा नाम | हस्ताक्षर | तारीख |
|----------|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम | निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक | उस भाग में क्रम सं० | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 956 | 6 | 7 |
| 1 | बिनियोपुर 115 | 141 | 239 | हरिहर भाजी | प्रियंका गांधी | 19/4/2014 |
| 2 | बिनियोपुर 115 | 218 | 347 | परमानंद भाजी | परमानंद भाजी | 19/4/2014 |
| 3 | बिनियोपुर 115 | 218 | 352 | सिताराम भाजी | सिताराम भाजी | 19/4/2014 |
| 4 | बिनियोपुर 115 | 218 | 381 | लक्ष्मी तुमार | लक्ष्मी तुमार | 19/4/2014 |
| 5 | बिनियोपुर 115 | 222 | 812 | हरिहर भाजी | हरिहर भाजी | 19/4/2014 |
| 6 | महाराजगत 112 | 169 | 957 | पिंडु तुमार भाजी | पिंडु तुमार भाजी | 19/4/2014 |
| 7 | तरया 116 | 60 | 612 | पर्णु तुमार पांडवा | पर्णु तुमार पांडवा | 19/4/2014 |
| 8 | स्वक्षमा 113 | 59 | 665 | दिलिप भाजी | दिलिप भाजी | 19/4/2014 |
| 9 | भाजी 114 | 50 | 1174 | पर्णु तुमार भाजी | पर्णु तुमार भाजी | 19/4/2014 |
| 10 | माझी 114 | 78 | 215 | अमिता देवी | अमिता देवी | 19/4/2014 |

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने ४३..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में श्रेणी..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में राजनीति मुवित पात्र दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) (ii) (iii) हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो रिहाई राज्य के उस राज्य में के क्षेत्र (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराये जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

क्रांति पात्र

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

तारीख 19/04/2014

*जमू—कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में ‘मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र’ शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

***लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

****जमू—कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें:—“मान्यताप्राप्त राजनैतिक” दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

१[भाग ३क]

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—
 (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
 सिद्धदोष ठहराया गया है ; या १६७ } हाँ / नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया
 गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास
 से दंडित किया गया है
 यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : १६८
- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट
 संख्यांक १६९
- (ii) पुलिस थाना
 (आने) १७० जिला (ज़िले) १७१ राज्य १७२
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त
 विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
 १७३
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखे)
 १७४
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था
 १७५
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और / या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि
 उपदर्शित करें १७६
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखे) १७७
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनरीक्षण फाईल
 किये गये थे : हाँ / नहीं १७८
- (ix) फाईल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ १७९
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील
 (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन फाईल किये गये थे १८०
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह
 / वे लंबित है १८१
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखे) १८२
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति १८३

स्थान : ६५८

तारीख : १९/०४/२०१४

कायास मामी
 (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

भाग 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम सं 22। H.P। 2014। R.O.

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 19.04.2014 (तारीख) को 11:53 AM.

(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तुतापक द्वारा परिदृष्टि किया गया।

तारीख 19.04.2014

*मुझे
निवाचित पदार्थिकारा
गृह-मारात्मक-वास्तविक-नियामन-क्षेत्र.*

भाग 5


नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय
मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित
कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण)

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।



19 महाराजगढ़ी

लो। १९ स. ३८।

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ—पत्र

भाग—क

मेरे द्वारा माँगी

**पुत्र/पुत्री/पत्नी राजनीतिक दल का नाम

आयु ४३ वर्ष, जो उत्तराखण्ड-त्रिलोकपुर (पिठौरी) के पंजारक्षेत्र

भाग बिनापुर जिला दृष्टि संसद (डाक को पूरा

पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ—

बहुगत मुल्ति वार्ता

(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा

खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लाभ म हो उसे काट दें)



(2) मेरा नाम 19 महाराजगढ़ी 11९ बिनिमय ४८८ (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं २१४ के क्रम सं ३५० पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ०९९३४९९४९६१ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) frm है।

(4) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय--कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथ्ति:

| क्र० सं० | नाम | पैन | वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है | आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (सूचये में) |
|----------|--------------|-------|--|---|
| 1. | स्वयं | अ०१२३ | अ०१२३ | अ०१२३ |
| 2. | पति या पत्नी | अ०१२३ | अ०१२३ | अ०१२३ |
| 3. | आश्रित-1 | अ०१२३ | अ०१२३ | अ०१२३ |
| 4. | आश्रित-2 | अ०१२३ | अ०१२३ | अ०१२३ |
| 5. | आश्रित-3 | अ०१२३ | अ०१२३ | अ०१२३ |

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गये हैं।


| | | |
|------|---|-------|
| (क) | मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/ राज्य के पूर्ण ब्यौरे संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है | अ०१२३ |
| | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | अ०१२३ |
| (घ) | न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई | अ०१२३ |
| (ड.) | तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे | अ०१२३ |
| (घ) | क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं | अ०१२३ |

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है / हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

| | | |
|-----|--|------|
| (क) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | अ०८८ |
| (ख) | उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है | अ०८८ |
| (ग) | पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे | अ०८८ |

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए करावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है: अ०८८

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: अ०८८



| | | |
|-----|--|------|
| (क) | उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है | अ०८८ |
| (ख) | न्यायालय(न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख(तारीखें) | अ०८८ |
| (ग) | अधिरोपित दंड | अ०८८ |
| (घ) | क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हौँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति | अ०८८ |

(7) में केरे पति था पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियाँ (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता है।

अ. जंगम आरितयों के ब्यौरे :

टिप्पणि १ — संयुक्त रखाभिल्प की सीमा को उपदर्शित करते हुए 'संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 – जमा/ विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, रकीम, बैंक/ संस्था का नाम और शाखा सहित व्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणी 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/ शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणि 4 — यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पणी - 5 रकम सहित और प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

| क्र० | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|-------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| (i) | हाथ में नकदी बैंक खातों में जमा के ब्यौरे नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संरथाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम | एकल इकाई 1000/- | पाँच पाँच 5000/- 10000/- | पाँच पाँच | पाँच पाँच | पाँच पाँच |
| (ii) | कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंवरों/ शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम | एकल पाँच इकाई 1000/- | पाँच पाँच पाँच पाँच | पाँच पाँच | पाँच पाँच | पाँच पाँच |
| (iii) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| | राष्ट्रीय बचत योजना, डॉक बचत, बीमा पालिसीयों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं चित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम | 7.20 2 लाख | भूमि | 2/ल | भूमि | भूमि | भूमि |
| (iv) | किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और अरणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| (v) | मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मैक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम) | 2/ल | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| (vi) | जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बौरे) | स्टोन 1 लाख 30 शाह 50 लाख | स्टोन 2 लाख 6 लाख 10 लाख | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| (vii) | कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| (viii) | समग्र कुल मूल्य | 2 लाख 51 लाख 30 लाख | 3 लाख 6 लाख 10 लाख | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| (ix) | सभग्र कुल मूल्य | 2 लाख 51 लाख 30 लाख | 3 लाख 6 लाख 10 लाख | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |

भवर आस्तियों के बौरे

संयुक्त स्थानिक की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से आस्तियों का भी विवरण


प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

| क्रम सं. | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित -1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|-------------|--|-------|-----------------|-----------|----------|----------|
| (i) | कृषि भूमि की अवरिथति (अवरिथतियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | क्षेत्र (एकड़ में कुल माप) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |

| | | | | | | |
|-------|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं) | हाँ | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 1 करोड़ | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| (ii) | गैर कृषि भूमि अवरिथति (अवरिथतियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| (iii) | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिथति (अवरिथतियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्गफूट में कुल माप) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |




| | | | | | | |
|------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| (iv) | आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) संख्यांक (संख्याएं) | पैरेक्स रप्परेल ग्राम कृष्णपुर | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप) | ५७५३ | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्गफूट में कुल माप) | ५९३१ ११७८६६ | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं) | ।। | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | १० लाख | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| (v) | अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| (vi) | पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य | १०.८८७ | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |



(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पणि: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

| क्रम सं० | विवरण | खवर्य | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|----------|--|---------|--------------|----------|----------|----------|
| | बैंक/ वित्तीय संस्था(संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| (i) | पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| | कोई अन्य दायित्व | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| | दायित्वों का कुल गोग | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| | सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| | जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| | प्रविद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| (ii) | टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| | सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| | आयकर शोध्य | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| | धनकर शोध्य | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| | सेवाकर शोध्य | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |
| | नगरपालिका/ सम्पत्ति कर शोध्य | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा | अन्धेरा |



| | विक्रयकर शोध्य | कुल | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
|-------|--|------|------|------|------|------|
| | कोई अन्य शोध्य | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| (iii) | सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| (iv) | क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ, तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है, का वर्णन करें। | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे

(क) स्वयं ३१८१९४७

(ख) पति या पत्नी मिलार मिश्र(पुराणा विविक्तिका)

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है। 1988

1. अप्रैल १९८५ को दिन विद्यालय संकाय 1988
2. अप्रैल १९८५ को दिन विद्यालय संकाय 1990

संस्कृत विद्यालय काठमाडौं २०५१ । १९९४

.....
.....

(प्राण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और इसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



भाग—ख

(11) अधिकारक के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

| | | |
|---|--|--|
| 1 | अभ्यर्थी का नाम | श्री / श्रीमती / कु ० <u>स्वतंत्र मामली</u> |
| 2 | डाक का पता- | <u>आम. नवकलालोला. पिट्ठौर. के. ५३४६७५०</u> <u>पट्टी, पिट्ठौर, ज़िला. पिट्ठौर (पारा)</u> |
| 3 | निवाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य | <u>१९ महाराष्ट्रांगे</u> |
| 4 | उस राजनीतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें) | <u>बहुजन मुक्ति पार्टी</u> |
| 5 | (i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावारा से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं। | <u>३०</u> |

| | (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न] | अ०८ | | | |
|--|--|---|-----------|----------|----------|
| 6 | ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया, एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उप धारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय] | अ०८ | | | |
| 7 | का स्थायी लेखा सं० | वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है | | | |
| (क) अभ्यर्थी | अ०८ | अ०८ | | | |
| (ख) पति या पत्नी | अ०८ | अ०८ | | | |
| (ग) आश्रित | अ०८ | अ०८ | | | |
| 8 आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में) | | अ०८ | | | |
| विवरण | खव्य | पति या पत्नी | आश्रित -1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
| जीएम आस्तियां (कुल सूची) | अ०८ | अ०८ | अ०८ | अ०८ | अ०८ |
| स्थावर आस्तियां | अ०८ | अ०८ | अ०८ | अ०८ | अ०८ |
| (i) रवार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत | अ०८ | अ०८ | अ०८ | अ०८ | अ०८ |
| (ii) क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो) | अ०८ | अ०८ | अ०८ | अ०८ | अ०८ |
| (iii) निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान वाजार कीमत | अ०८ | अ०८ | अ०८ | अ०८ | अ०८ |

| | | | | | | | |
|----|--|--|------|------|------|------|------|
| | (क) | रखाजित आस्तिया (कुल मूल्य) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | (ख) | विरासती आस्तिया (कुल मूल्य) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| 9 | दायित्व | | भूमि | | भूमि | भूमि | भूमि |
| | (i) | सरकारी शोध्य (कुल) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | (ii) | बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| 10 | ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है | | भूमि | | | | |
| | (i) | सरकारी शोध्य (कुल) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | (ii) | बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| 11 | उच्चतम शैक्षिक अर्हता: | <p style="text-align: center;"> उल्लेख का छोड़ा गया रिंग का लाइजेंस अमृतकाम किंठ किंठ भिप्रा २००१ २००४ </p> | | | | | |
| | (प्रभाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष इसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।) | | | | | | |



सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग गिर्धा नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं, यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 9, 10 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 17/4/2014 को सत्यापित किया गया।

I Identity Bayab Manohar
who has signed in my presence
Manohar Singh Adv. मनोहर मानोहर
अधिसाक्षी
T.M.S.

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए जानकारी नहीं है, तो यथारिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5. शपथपत्र के पास 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या / संख्याएँ हैं/ हैं ०९९३४९२४९८।

मेरा ई-मेल आईडी(अगर कोई हो) है..... मेरा ई-मेल

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... मेरा सोशल मीडिया

टिप्पण : 6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथपत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिये गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथपत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जोच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।



FORM A

COMMUNICATION WITH REGARD TO AUTHORISED PERSONS TO INTIMATE NAMES OF CANDIDATES SET UP BY THE RECOGNISED NATIONAL POLITICAL PARTY.

(See paragraph 13(c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968)

To

1. The Chief Electoral Officer,

Bihar.....(State/Union Territory).

2. The Returning Officer for the

Jharkhand.....Constituency.

Subject :- General Election to the House of the People (Lok Sabha) 2014.

from.....Bihar.....(State/Union Territory)

Allotment of Symbols—Authorisation of persons to intimate names of candidates.


Sir,


In pursuance of paragraph 13 (c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby communicate that the following person(s) has/have been authorised by the **BAHUJAN MUKTI PARTY**, which is a National Party to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.


| Name of person authorised to send notice | Name of office held in the party | District(s) area (s) constituency/constituencies in respect of which he has been authorised. |
|--|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Vershi Lakhu Matang | National President | for entire State/Union Territory |

2. The specimen signature of the above mentioned person(s) so authorised are given below:-

1. Specimen signature of Vershi Lakhu Matang

(i)..........

(ii)..........

(iii)..........

Place : New Delhi


Date.....12th April 2014

N.B.

1. This must be delivered to the Returning officer and the Chief Electoral Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nomination.
2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.



(Seal of the Party)

Yours faithfully,

(Vershi Lakhu Matang)
National President
Bahujan Mukti Party
Office : 4765/46, Raigar Pura,
Karol Bagh, New Delhi

FORM 'B'

NOTICE AS TO NAME OF CANDIDATE SET UP BY THE POLITICAL PARTY
[See Para 13(b),(c) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968].

To,
The Returning Officer for the..... 19. Maharganj.....(Name of the Constituency) in..... Bihar.....(State/Union Territory)—setting up of candidates.

Sir,

In pursuance of paragraph 13(b),(c) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby give notice on behalf of BAHIJAN MUKTI PARTY.

- (i) that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named, and
- (ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate at the ensuing general/by-election from this constituency.

| Name of the Constituency | Name of the approved Candidate | Father's/Mother's/ Husband's name of approved Candidate | Postal address of approved candidate | Name of the substitute candidate who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate. | Father's/Mother's/ Husband's name of substitute Candidate | Postal address of substitute Candidate |
|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>19. Maharganj</u> | <u>Byas Manjhi</u> | <u>Suryug Manjhi</u> | <u>Tawakkatola Pithora Po- Raigambarpur P.S - Baniajpur Dist - Sonan . 841403</u> | | | |

- *2 The notice in Form 'B' given earlier in favour of Shri/Smt./Sushri as Party's substitute candidate is hereby rescinded.
Sushri.....
.....as Party's substitute candidate is hereby rescinded.

- *3 It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of Bahijan Mukti Party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.

Place : New Delhi

Date. 12th April, 2014

*Score off, if not applicable

N.B. :
1. This must be delivered to the Returning Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.

2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., or any office bearer shall be accepted.

3. No form transmitted by fax shall be accepted.

4. Para 2 of the Form must be scored off, if not applicable, or must be properly filled, if applicable.



Yours faithfully,

(Ver什i Lakhlu Matang)

National President

Bahujan Mukti Party
Office : 4765/46, Raigar Pura,
Karol Bagh, New Delhi



बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR

फॉर्म - II

कार्यालय का नाम

जिला : सारण, अनुमंडल : , प्रखंड : बनियापुर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र
(तत्काल सेवा के तहत निर्गत *)

आवेदन संख्या : 041815171051400115

दिनांक : 15/04/2014


प्रमाण-पत्र संख्या : TC/14/00115

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी व्यास माँझी Sri/Smt./Kumari BYAS MANJHI पुत्र/पुत्री/पत्नी सरयुग माँझी Son/Daughter/Wife SARYUG MANJHI गाँव/शहर तवकल टोला पिठौरी Village/Town TAWAKAL TOLA PITHAURI पोस्ट ऑफिस पैगम्बरपुर थाना बनियापुर अनुमंडल जिला सारण राज्य बिहार दुसाध समुदाय के सदस्य है, जो कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचि (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं समय-समय-पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूचि में अनुक्रमांक 11 पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी व्यास माँझी पुत्र/पुत्री सरयुग माँझी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की है।

श्री/श्रीमती/कुमारी व्यास माँझी एवं उनका परिवार गाँव/शहर तवकल टोला पिठौरी प्रखंड बनियापुर पोस्ट ऑफिस पैगम्बरपुर थाना बनियापुर अनुमंडल जिला सारण राज्य बिहार में निवास करते हैं।

स्थान : ७८१८८

दिनांक : 15/4/2014



(कार्यालय का मुहर सहित)

* Note: इस प्रमाण पत्र को उपयोग में लाने से पूर्व इसकी वैधता की जाँच सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की वेबसाइट www.gad.bih.nic.in के RTPS Link में 'Verify Tatkal Certificates' Tab में जाकर आवेदन संख्या 041815171051400115 डालकर अनिवार्य रूप से कर ली जाए।

23/HP/2014/R.D
6/9/2014
10/5/2014

¹[प्र० ८२]

(नियम ४ देखिए)

नामनिर्देशन—पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

*ante
time* (मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)
मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए.....

संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम
पिता/माता/पति का

नाम
उसका डाक पता

उसका नाम.....
संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र [में समाविष्ट

.....
विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के
भाग सं0.....
में क्रम सं0.....
पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम.....
है, जो

संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र [में समाविष्ट
विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र]

की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....
में क्रम सं0.....
पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 19 मई 2014 को 10 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से नामनिर्देशित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं:-

अभ्यर्थी का नाम द्वयाल माझी

पिता/मर्ता/पति का नाम रमेश माझी

उसका डाक पता नवकरण लोकप्रिय कांगड़ा इलाहाबाद नामक विधायिका निर्वाचन क्षेत्र

उसका नाम 19 मई 2014 को

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र * [में समाविष्ट 115 निर्वाचक विधायिका निर्वाचन-क्षेत्र] विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र

की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 218 में क्रम संख्यांक 350 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे की नीचे उपदर्शित हैं, दूर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं:- द्वयाल माझी

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

| क्रम सं० | प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक | | | पूरा नाम | हस्ताक्षर | तारीख |
|----------|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र | निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक | उस भाग में क्रम सं० | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बनियापुर 115 | 141 | 239 | द्वयाल माझी | द्वयाल माझी | 19/5/2014 |
| 2 | बनियापुर 113 | 218 | 341 | परमानंद माझी | परमानंद माझी | 19/5/2014 |
| 3 | बनियापुर 115 | 218 | 352 | सिताराम माझी | सिताराम माझी | 19/5/2014 |
| 4 | बनियापुर 115 | 218 | 381 | संजीव कुमार | संजीव कुमार | 19/5/2014 |
| 5 | बनियापुर | 222 | 812 | दुनिंदु माझी | दुनिंदु माझी | 19/5/2014 |
| 6 | महाराजावाड़ 112 | 169 | 957 | पितृकुमार माझी | पितृकुमार माझी | 19/5/2014 |
| 7 | तरैमा 116 | 60 | 612 | पप्पु कुमार पालवान | पप्पु कुमार पालवान | 19/5/2014 |
| 8 | एकमा 113 | 59 | 665 | दिलिप माझी | दिलिप माझी | 19/5/2014 |
| 9 | एकमा 113 | 55 | 699 | कुक्कुट कुमार माझी | कुक्कुट कुमार माझी | 19/5/2014 |
| 10 | माझी 115 | 78 | 215 | उमिंदेती | उमिंदेती | 19/5/2014 |

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने ४३ वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में लोकतांत्रिक सुनिता पात्री दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) द्वारपाल (ii) शक्ति (iii) शक्ति हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर द्वारपाली (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो त्रिविहार राज्य के उस राज्य में के सारुठा चित्ता (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराये जा रहे साधारण निर्वाचन/उच्च-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

कामाल माना)

तारीख 19/04/2014

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में “मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र” शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

***लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

****जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :—“मान्यताप्राप्त राजनैतिक” दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

१ [भाग ३क]

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—
 (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
 सिद्धदोष ठहराया गया है ; या नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया
 गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास
 से दंडित किया गया है
 यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : 142

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट
 संख्यांक अमृत

(ii) पुलिस थाना
 (थाने) अमृत जिला(जिले) अमृत राज्य अमृत

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
अमृत

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखे)
अमृत

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था
अमृत

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और / या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें अमृत

(vii) कारागार से निर्मुकित की तारीख (तारीखे) अमृत

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीले) पुनरीक्षण फाईल किये गये थे : हाँ / नहीं 143

(ix) फाईल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन(आवेदनों) की विशिष्टियाँ अमृत

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाईल किये गये थे अमृत

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया हैं या वह / वे लंबित है अमृत

(xii) यदि उक्त अपील(अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन(आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—
 (क) निपटारे की तारीख(तारीखें) अमृत
 (ख) पारित आदेश(आदेशों) की प्रकृति अमृत

स्थान : ६४८

تاریخ : ۱۹/۰۴/۲۰۱۴

क्यास मोमी

(अभ्यर्थी के हरताक्षर)

भाग 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम सं० 23 | HP | 2014 | RO

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 19.04.2014 (तारीख) को 11:53 AM.

(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तापक द्वारा परिदृष्ट किया गया।

तारीख 19/04/2014

नियोनी प्रदीप
.....प्रधानमंत्री समर्थन मिशन, बैच

भाग 5

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण)

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

24/HP/2014/RD
 नामनिर्देशन—पत्र
 लोक सभा के लिए निर्धारित
 भाग 1
 (जानकारी का नाम 1 या भाग 2, हमारे से जो भी वाहू न हो, उसे काट दें)

मेरे लोक सभा के लिए पत्र

संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र से अवृद्धि के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अवृद्धि का नाम पिता / माता / पति का नाम

उम्र पुरुष उत्तराकhand का लोक पत्र पुरुष

उल्लक्ष नाम पुरुष संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र [में समाविली

पुरुष विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र] की नियोगिक नामावली के भाग सं0. पुरुष में क्रम सं0. पुरुष पर प्रतिष्ठित है।

मेरा नाम पुरुष है, जो पुरुष

संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र [में समाविली पुरुष विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र]

ही नियोगिक नामावली के भाग सं0. पुरुष में क्रम सं0. पुरुष पर प्रतिष्ठित है।

तारीख 19/4/2014

(प्रत्यापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम धोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए । १९ मार्च । १९७१) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं:-
अभ्यर्थी का नाम : देवाली गुरुमुख

पिता / माता / पति का नाम X/X/2/2/ २१६९

उसका डाक पता चाहा- रमेशलाल (पिटोरी) पै. बैंगलरुपुर, चाना-
ल नियायपुर, ग्रिया स्थान। उसका नाम 19 मार्च 1970 अंग

संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र *[में समाविष्ट ११५ लिमिटेड] विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक २१८ में क्रम संख्यांक ३५० पर प्रविष्ट है।

हम धोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामांगली में जैसे की नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं :— व्यास माही

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

| क्रम सं० | प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक | | | पूरा नाम | हस्ताक्षर | तारीख |
|----------|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम | निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक | उस भाग में क्रम सं० | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बिधायक पुरुष 115 | 141 | 239 | हरदूर माई | Harmohi Maayi | 19/6/2014 |
| 2 | जनिमापुर 115 | 218 | 347 | परमाणुक माई | Paramanuk Maayi | 19/6/2014 |
| 3 | 115 बिधायक पुरुष | 218 | 352 | सितराम माई | Sitaram Maayi | 19/6/2014 |
| 4 | बिधायक पुरुष 115 | 218 | 381 | संजीव कुमार | Sangeet Kumar | 19/6/2014 |
| 5 | जनिमापुर 115 | 222 | 812 | दुनितुन माई | Dunitun Maayi | 19/6/2014 |
| 6 | भृहराजगत 112 | 169 | 957 | पिंडु कुमार माई | Pindu Kumar Maayi | 19/6/2014 |
| 7 | तरया 116 | 60 | 612 | पट्टु कुमार पासवान | Patru Kumar Paswan | 19/6/2014 |
| 8 | रघुमा 113 | 59 | 665 | दिलिप माई | Dilip Maayi | 19/6/2014 |
| 9 | रघुमा 113 | 44 | 694 | कुमार कुमार माई | Kumarkumar Maayi | 19/6/2014 |
| 10 | माई 114 | 78 | 215 | उमिला देवी | Umila Devi | 19/6/2014 |

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने ४३ वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में शुभा दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में बहुजन सुकृति पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) चाहपाई (ii) शुक्र (iii) शुक्र हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो किंडा राज्य के उस राज्य में के स्तर (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराये जा रहे साधारण निर्वाचन/उपनिर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 19/04/2014

क्यास भोभा
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जमू—कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्द्वीप की दशा में “मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र” शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

***लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

****जमू—कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्द्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :—“मान्यताप्राप्त राजनैतिक” दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

1[भाग 3क]

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—
 (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
 सिद्धदोष ठहराया गया है ; या नहीं } हाँ / नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया
 गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास
 से दंडित किया गया है
 यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : नहीं
- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट
 संख्यांक ५९३
- (ii) पुलिस थाना
 (थाने) श्रीगंगांव जिला(ज़िले) श्रीगंगांव राज्य श्रीगंगांव
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त
 विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
अनुच्छेद
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीख)
श्रीगंगांव
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था
श्रीगंगांव
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासो) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानो) की राशि
 उपदर्शित करें श्रीगंगांव
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखे)
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीले) पुनरीक्षण फाईल
 किये गये थे : हाँ / नहीं नहीं
- (ix) फाईल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन(आवेदनों) की विशिष्टियाँ श्रीगंगांव
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील
 (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन फाईल किये गये थे श्रीगंगांव
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह
 / वे लंबित है श्रीगंगांव
- (xii) यदि उक्त अपील(अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन(आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—
 (क) निपटारे की तारीख(तारीखें) श्रीगंगांव
 (ख) पारित आदेश(आदेशों) की प्रकृति श्रीगंगांव

स्थान : श्रीगंगांव

तारीख : 19/04/2014

अभ्यर्थी का मामला

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

भाग 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम सं 24 | HP | 2014 | R.O.

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 19.04.2014 (तारीख) को 11:54 AM;

(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्त्रापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 19.04.2014

मेरा नामनिर्देशन
रिटर्निंग ऑफिसर का राज
प्रशासन संसदीय नियंत्रण बोर्ड

भाग 5

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण)

*लागू न होने वाले शब्द का दीजिए।

25/1/प्र/2014/१२०
Time - 19/4/2014 11:54 PM

[प्रख्य 2क
(गियर ५ देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

वीड़ी गोप । या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग ।

(मानवजन्माता राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये अधिकारी द्वारा उपर्योग किया जाना है)

में लोक सभा के निर्वाचन के लिए ३६०८

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अधिकारी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अधिकारी का नाम श्रीमति/महाता/परिज्ञा

काम श्रीमति उसका डाक पता श्रीमति

..... श्रीमति

पुस्तक नाम श्रीमति संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [पृष्ठ संख्या]

..... श्रीमति विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के

पुस्तक सं. श्रीमति में क्रम सं. श्रीमति पर प्रविष्ट है।

संशोधन नाम श्रीमति है, जो श्रीमति

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समायिष्ट श्रीमति विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र]

ली निर्वाचक नामावली के भाग सं. श्रीमति में क्रम सं. श्रीमति पर प्रविष्ट है।

तारीख 19/4/2014

(उपर्योग के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए । १८६९/१७/३
संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं—
अभ्यर्थी का नाम १८६९/१८/३

पिता/माता/पति का नाम सरदार स. कुमार
 उसका डाक पता ग्राम- नवकलाहोता (पिठोरी), पा. औंगारपुर
पाना- बिनिमापुर, जिला- सारण उसका नाम १९ महाराजबांज

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *[में समाविष्ट ।।५ जीनभापुर] विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक २।४ में क्रम संख्यांक ३५० पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामांगली में जैसे की नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं :— लक्ष्मण मोहन

प्ररथापकों की विशिष्टियाँ और उनके हरताक्षर

| क्रम सं० | प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक | | | पूरा नाम | हस्ताक्षर | तारीख |
|----------|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम | निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक | उस भाग में क्रम सं० | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ५६६ आ०३१ | ६ | 7 |
| 1 | बनिया पुर ११५ | 141 | 239 | हरेन्द्र आ०३१ | हरेन्द्र आ०३१ | १७/५/२०१४ |
| 2 | बनिया पुर ११५ | 218 | 347 | परमानंद आ०३१ | परमानंद आ०३१ | १७/५/२०१४ |
| 3 | बनिया पुर ११५ | 218 | 352 | सितारम आ०३१ | सितारम आ०३१ | १७/५/२०१४ |
| 4 | बनिया पुर ११५ | 218 | 381 | सर्जिव कुमार | सर्जिव कुमार | १७/५/२०१४ |
| 5 | बनिया पुर ११५ | 222 | 812 | हरेन्द्र आ०३१ | हरेन्द्र आ०३१ | १७/५/२०१४ |
| 6 | गहरातांज ११२ | 169 | 957 | पिल्लु छोपाल आ०३१ | पिल्लु छोपाल आ०३१ | १७/५/२०१४ |
| 7 | तरया ११६ | 60 | 612 | पर्णु छोपार पालवल | पर्णु छोपार पालवल | १७/५/२०१४ |
| 8 | रुक्मा ११३ | ५९ | ६६५ | दिलिप सौर्खी | दिलिप सौर्खी | १७/५/२०१४ |
| 9 | माझी ११४ | ५० | ११७४ | पर्णु छोपार आ०३१ | पर्णु छोपार आ०३१ | १७/५/२०१४ |
| 10 | माझी ११४ | ७८ | २१५ | अमिला देवी | अमिला देवी | १७/५/२०१४ |

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने 43 वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में लाभुक्त निर्वाचनीय दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में लाभुक्त मुक्ति पाती है दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) लाभुक्त (ii) लाभुक्त (iii) लाभुक्त हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर लिखा (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अहित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो लाभुक्त राज्य के उस राज्य में के स्वारोत्तम क्षेत्र (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराये जा रहे साधारण निर्वाचन/उपनिर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

लाभुक्त भाइग

तारीख 19/04/2014

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में 'मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र' शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

***लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

****जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :—“मान्यताप्राप्त राजनैतिक” दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

१[भाग ३क]

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—
 (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
 सिद्धदोष ठहराया गया है ; या नहीं हाँ / नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया
 गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास
 से दंडित किया गया है
 यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : नहीं
- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट अंक
 संख्यांक
 (ii) पुलिस थाना
 (थाने) अंक जिला(ज़िले) अंक राज्य अंक
 (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त
 विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
 अंक
 (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें)
 अंक
 (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था
 अंक
 (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि
 उपदर्शित करें अंक
 (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)
 (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीले) पुनरीक्षण फाईल
 किये गये थे : हाँ / नहीं १८)
- (ix) फाईल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन(आवेदनों) की विशिष्टियाँ अंक
 (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील
 (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन फाईल किये गये थे अंक
 (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह
 /वे लंबित है अंक
 (xii) यदि उक्त अपील(अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन(आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—
 (क) निपटारे की तारीख(तारीखें) अंक
 (ख) पारित आदेश(आदेशों) की प्रकृति अंक

स्थान : दिल्ली

तारीख : १९/०४/२०१५

क्रांति मिल
 (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

भाग 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम सं 25 | HP | 2014 | R.O.

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 19.04.2014 (तारीख) को 11:54 AM.

(बजे) *आमर्थी/प्रस्तुपक द्वारा परिदृष्टि किया गया।

तारीख 19.04.2014

रिटर्निंग ऑफिसर
निवाची पदाधिकारी
सरकारी संसदीय नियोग बोर्ड

भाग 5

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण)

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।